

राजकीय आईटीआई के पूर्व प्रधानाचार्य समेत आठ पर केस दर्ज

केटी न्यूज़/बलिया

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया के प्रशान्ताचार्य समेत आठ लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने यह खोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सीजेस कोर्ट के आदेश पर करार लागाई थी कि सूचना के अधिकार (फ़ल्क) तहत उन्होंने 30 बिंदुओं पर सूचना मार्गी थी, जिसमें अधिकांश बिंदुओं पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।

का आरोप है।

मिली जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के पिंड नेवरी निवारी अधिकारी और आराई अधिकारी मानोज कुमार राय हंस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर गुरु लागाई थी कि सूचना के अधिकार (फ़ल्क) तहत उन्होंने 30 बिंदुओं पर सूचना मार्गी थी, जिसमें अधिकांश बिंदुओं पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी का दर्ज किया

मुकदमा

प्रशिक्षण के नाम पर लाखों रुपए गबन करने का है आरोप

यही नहीं, एक बिंदु के जवाब में बताया गया था कि दो लाख 50 हजार रुपये का उद्योग सत्र 2012-13 में प्रशिक्षण यात्रा एवं अन्य प्रशासनिक कार्य के लिए आवंटित दो लाख 50 हजार रुपये के उपयोग में विवारी अनिवार्यता

व्यय के मद का बताया गया। जिसका उपयोग 30 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने के बजे के विचलन का अपराध करित किया गया। इसके अलावा संस्थान के पास प्रशिक्षण देने के खिलाफ कोतवाली पुलिस को दिया गया, जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मिस्ट्रेट ने पूर्व प्रधानाचार्य अरविंद कुमार, कैवियर राशि प्रकाश मिश्र, लेखाकार रमेश कुमार वटवाल, मुनीरुद्दीन, पूर्व प्रधानाचार्य धर्मवीर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य रविंद्र पटेल, साथ ही

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया। बल्कि एक ही व्यक्ति का नाम दिखाकर दो बार धन आहरित किया गया, जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मिस्ट्रेट ने पूर्व प्रधानाचार्य अरविंद कुमार, कैवियर राशि प्रकाश मिश्र, लेखाकार रमेश कुमार वटवाल, मुनीरुद्दीन, पूर्व प्रधानाचार्य धर्मवीर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य रविंद्र पटेल, को जा रही है।

बीच सड़क पर कुत्ता आने से पलटी टेंपो सपा छात्र समा के पूर्व जिलाध्यक्ष की मौत

सिंकंडरपुर। खेजरी थाना क्षेत्र के

खेजरा चौरी के समीप असंतुलित होकर टेंपो पलटने से समाजवादी छात्र समा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील यादव समेत तीन लोग घायल हो गए। जिसमें सुनील यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चिकित्सक आदेश पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया के प्रधानाचार्य समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

द्वारा चिकित्सक दर्पुर आ रहे थे। अभी वह जैसे ही खड़ा सदा खड़ी से कुछ दूर पहुंचे ही थे कि टेंपो के आग अचानक खड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरी गांव जहां वे अपने बचाने के चक्रकर में असंतुलित परिवार के साथ रहते थे। वह टेंपो

द्वारा चिकित्सक दर्पुर आ रहे थे। अभी वह जैसे ही खड़ा चौरी से कुछ दूर पहुंचे ही थे कि टेंपो के आग अचानक खड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरी गांव जहां वे अपने बचाने के चक्रकर में असंतुलित परिवार के साथ रहते थे। वह टेंपो

खबरें फटाफट

लो वॉल्टेज बिजली से लोगों का हाल-बेहाल

सिवाह इब्राहिमाबाद (मऊ)

विद्युत गोरी रोकने और बिलो से सम्बद्ध लंबित धनराशियों के भुगतान को लेकर विभाग दिनों -

दिनों सही होता जा रहा है तो

दूसरी ओर विद्युत आपूर्ति की

रिप्टि पूर्वी की जावान में लंबर होती हो रही है विद्युत वितरण उपक्रेंट द्वारा शासन के आपूर्ति संबंधी दिशा - निर्देशों की अनदेखी कर अधिकतम तरह - चौदह घंटे ही जिनी दी जा रही है औपर से लो - वॉल्टेज की समस्या भी खींची नामरकों के लिए खास रॉप्टी रोकने वाले खींची हैं पिछों दिनों हुई सिलसिलेवार बरसात से तामाज़ में अप्रत्याशित गिरावट आग गई थी, जिससे

जनसामाज्य को काफी राहत मिली थी किंतु इधर कई दिनों से वारिश न होने और नीखी धूप होने के कारण लोग एक बार फिर बेहाल हैं ऐसे में खिलों की अपेक्षित आपूर्ति न होना बेहद दुखादी सवित हो रहा है।

बेटी बचाओ बेटी

पढ़ाओ जागरूकता

कार्यक्रम का आयोजन

मऊ | परदहां ल्यॉक क्षेत्र के

रेकारेंजर्स ही में रिश्त के एन एस

इंटर कॉलेज में महिला कल्याण

विभाग मक्का के पदाधिकारियों

द्वारा उपक्रेंट द्वारा शासन के

उद्देश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता कार्यक्रम का

आयोजन किया गया। इस मौके

पर उत्तराखण्ड ज्ञानांशों को महिला

कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा

चलाई जा रही योजनाओं की

जाकारी गई। इस दौरान

विद्यालय सुनील

कुमार पाण्डेय, मजिस्ट्रेट एवं उड़ड

सदरमुख अंतिम सिंह, साथ विधि

परिविका अधिकारी रेनु पाण्डेय,

महिला कल्याण अधिकारी अर्चना

राय, चंदा सहनी, संघ्या चिंह,

राखी राय, कृतिका राय विद्यालय

के साथाकार निखिल पाण्डेय,

उपेंद्र बौद्धन, रुतु गुप्ता, नीतू

कन्नौजिया, रेनु चिंह, प्रीति गुप्ता,

संगम पाण्डेय, चंदा वीहान,

आफिया अफरोज आदि

शिक्षकगण उपस्थित रहे।

सेवानिवृत्त होने पर

तहसील कर्मियों का

समारोह में दी विदाई

मऊ | मोहम्मदाबाद गोहना

तहसील परिसर में शिवार के

तहसील के कर्मचारी सुनील

कुमार पाण्डेय, मजिस्ट्रेट एवं उड़ड

सदरमुख अंतिम सिंह, साथ विधि

परिविका अधिकारी रेनु पाण्डेय,

महिला कल्याण अधिकारी अर्चना

राय, चंदा सहनी, संघ्या चिंह,

राखी राय, कृतिका राय विद्यालय

के साथाकार निखिल पाण्डेय,

उपेंद्र बौद्धन, रुतु गुप्ता, नीतू

कन्नौजिया, रेनु चिंह, प्रीति गुप्ता,

संगम पाण्डेय, चंदा वीहान,

आफिया अफरोज आदि

शिक्षकगण उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का किया निरीक्षण

जेल मैनुअल के हिसाब से कारागार में संचालित हो व्यवस्था: जिलाधिकारी

केटी न्यूज़/बलिया

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसपी एस. आनंद ने निवारक कोतवाली के बाद विभाग को जिला कारागार का अधिकार कराया था। उन्होंने कारागार अधीक्षक से जेल की व्यवस्था के बाबत पूछताछ की और आवश्यक विद्यारथ किया। कहा गया था कि जेल मैनुअल के हिसाब से ही यहां पर व्यवस्था बदल दिया जाना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस ने जिला कारागार का अधिकारी रविंद्र कुमार को जावान में लंबर होने और नीखी धूप होने के कारण लोग एक बार फिर बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में खिलों की अपेक्षित आपूर्ति नहीं होती है। इसके बाद जेल की व्यवस्था का संपर्क करने के बारे में निरीक्षण के दौरान जिला कारागार का अधीक्षक को दिए गए। इसके बाद जेल अस्थाल में गए और वहां उपलब्ध दवा आदि के बाबत विवरण करने के बाद जेल की व्यवस्था के संपर्क संस्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को जावान कोर्ट द्वारा सुनिश्चित कराया गया। जिला कारागार को अधीक्षक को अवश्यक विद्यारथ को जावान जिला कारागार का अधीक

